रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122022-241040 CG-DL-E-13122022-241040

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5576] No. 5576] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5812(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप—खण्ड (ii), तारीख 06 सितम्बर, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4160(अ), तारीख 02 सितम्बर, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, झारखण्ड राज्य के गिरिडीह जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कोरीडोर के निष्पादन, रख—रखाव, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान टाईम्स, में तारीख 10 सितम्बर, 2022 की प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया और तद्नुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं:

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

8289 GI/2022 (1)

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के गिरिडीह जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेंट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिलाः गिरिडीह

क्र.सं.	मौजा का नाम	थाना का नाम/नं	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	पात्रकरन	जमीन का प्रकार	जमीन की प्रकृति	भूमि के मालिक / हितबद्व व्यक्ति का नाम
1	मधवाडीह	192	5	59	0.537	0.217	रैयती	धान खेत तीन	ओम प्रकाश महतो वो हरि प्रसाद महतो पिता स्व. ताराचन्द महतो वो महावीर महतो वो त्रिभुवन महतो पिता स्व0 ठाकुर महतो

[फा. सं. 2022 / एलएमएल-II / 12 / 2 / ईसी / 2363]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं स्विधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

S.O. 5812(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 4160(E), dated the 2nd September, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th September, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Giridih in the State of Jharkhand;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran and Hindustan Times, dated the 10th September, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Giridih in the State of Jharkhand.

DISTRICT: GIRIDIH

S.No.	Name of	Name of	KhataNo	Plot	Acquiredarea	Acquired	Type of	Nature of	Recored OwnerName
	Mouzavillage	Thana/No		Number	(Acre.)	area	Land	Land	
						(Hec.)			
1	Madhwadih	192	5	59	0.537	0.217	Raiyti	Dhankhet III	Om Prakash Mahto, Hari
									Prasad Mahto
									S/oLt.Tarachand Mahto,
									Mahavir Mahto,
									Tribhuwan Mahto
									S/oLt.Thakur Mahto.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2363]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L & A)